उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)

अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), गाजीपुर–233001

e-mail-ee3cdjngp.up@gmail.com

जल सारथी

पत्रांक 1628 / पेयर कोर्ट / 43 दिनांक–11/09/26

सेवा में

मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण),
उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण),
लखनऊ।

विषय– **दैनिक भास्कर सोशल मीडिया न्यूज में अंकित शीर्षक "बारा में 15 करोड़ की पानी टंकी शोपीस, सेवराई तहसील के गांव को अब तक नहीं मिला एक बूंद पानी" के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आप महोदय को सादर अवगत कराना है कि दैनिक भास्कर सोशल मीडिया न्यूज में अंकित शीर्षक "बारा में 15 करोड़ की पानी टंकी शोपीस, सेवराई तहसील के गांव को अब तक नहीं मिला एक बूंद पानी" की खबर दैनिक भास्कर सोशल मीडिया में दिनांक–11.08.2026 को प्रकाशित हुयी है।

उक्त के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि उ0प्र0 जल निगम प्रधान कार्यालय 6–राणा प्रताम मार्ग लखनऊ स्थित मुख्य अभियन्ता(ग्रामीण) के पत्रांक सं0–1059/2042–डब्ल्यू बी/20 दिनांक 04.12.2020 के द्वारा स्वीकृत लागत के अन्दर ही कार्य कराने एवं अतिरिक्त कार्य एस0एल0एस0एस0सी0 से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्य कराने हेतु आदेशित किया गया है। योजना पर स्थल परिवर्तन एवं अतिरिक्त कार्य में वृद्धि के कारण स्वीकृत सीमा तक कार्य कराया गया है एवं अतिरिक्त कार्य एस0एल0एस0एस0सी0 से स्वीकृति के प्रत्याशा में रूकी हुई है, जो की उच्चाधिकारियों के स्तर पर विचाराधीन है। धनावंटन/भुगतान होने उपरान्त योजनान्तर्गत समस्त अवशेष कार्य पूर्ण कराते हुए योजनान्तर्गत पेयजल आपूर्ति संचालित करा दी जायेगी।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0: / / दिनाँक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी महोदय, गाजीपुर।
3. मुख्य अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), वाराणसी।
5. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, गाजीपुर।
6. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, गाजीपुर।

अधिशासी अभियन्ता

Letter/EE/2026/149

तार : निगम

दूरभाष : 0522-2202175, 228291
फैक्स : 0522.2231517

उत्तर प्रदेश जल निगम

प्रधान कार्यालयः 6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ - 226001

पत्रांक : 1059/2042-W.B /20 दिनांक : 4/12/2020

अधिशासी अभियंता,
तृतीय निर्माण खण्ड (अनु0),
उ0प्र0 जल निगम,
गाजीपुर।

विषयः-विश्व बैंक सहायतित नीर निर्मल परियोजना बैच-2 के अन्तर्गत बारा पेयजल योजना के प्रेषित किये गये वैरीऐशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक 1161/विश्व बैंक बैच-2/144 दिनांक 24.11.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसमें आप द्वारा अवगत कराया गया कि बारा ग्राम पेयजल योजना, जिसकी एस0एल0एस0एस0सी0 से स्वीकृत लागत रू0 1616.39 लाख है एवं अनुबन्ध की लागत रू01581.53 लाख है, के कार्य स्थल में परिवर्तन होने के कारण पुनः डिजाइन किया गया था, जिसके फलस्वरूप अनुबन्ध लागत में रू0 292.17 लाख अतिरिक्त सम्मिलित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त योजना की पुनरिक्षित लागत वर्तमान में एस0एल0एस0एस0सी0 की स्वीकृत लागत से अधिक है। योजना के अन्तर्गत वैरीऐशन की स्वीकृति एस0एल0एस0एस0सी0 के स्तर से प्राप्त की जानी होगी।

अतः उपरोक्त संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही प्राथमिकता पर सुनिश्चित करने का कष्ट करें:-

1. मूल प्रस्ताव के स्थान पर संशोधित प्रस्ताव एवं कार्यस्थल की आवशकता के अनुसार पुनरिक्षित आगणन तैयार कर प्रस्तुत किया जाय। योजना के अन्तर्गत प्रमुख प्रस्तावों को प्रमाणित किये जाने हेतु कार्यस्थल के फोटोग्राफ एवं अन्य सत्यापित विवरण भी संलग्न किया जाये।
2. निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार योजना को तकनीकी अभियॅान्त्रिकी संस्थान से परीक्षण कराकर उनकी संस्तुति सहित प्रस्तुत किया जाय।
3. उपरोक्त की स्वीकृति एस0एल0एस0एस0सी0 से प्राप्त की जानी अपेक्षित है। अतः उक्त योजना पर कार्यों को वर्तमान स्वीकृत लागत की सीमा तक ही कराया जाये, एवं अवशेष कार्यों को एस0एल0एस0एस0सी0 से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही कार्यवाही की जाय।

(जी0पी0 शुक्ला)
ok मुख्य अभियंता (ग्रामीण)

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता (वा0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, वाराणसी।
2. अधीक्षण अभियंता, सप्तम मण्डल, उ0प्र0 जल निगम, वाराणसी।

मुख्य अभियंता (ग्रामीण)

ok 24/12/20